इ–मेल / महत्वपूण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / 1885 लखनऊ / दिनांक– 19-10-2022

**विषयः– तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत चलाये जा रहे पोषण माह परियोजना अभियान में तम्बाकू उद्योग के लोगो / डिस्प्ले अथवा संपोषण अभियान के लोगो / डिस्प्ले को प्रचारित न करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(संलग्नक–क), जिसके माध्यम से महानिदेशालय को अवगत कराया गया है कि कि इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं एवं जनमानस के बीच माह सितम्बर 2022 में पोषण माह से सम्बन्धित राष्ट्रीय पोषण माह मना रही है तथा इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अपने सी.एस.आर. कार्यक्रम के अर्न्तगत किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में एनीमिया की चुनौती को कम करने हेतु परियोजना संपोषण आरम्भ किया गया है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदान और वितरण अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत उक्त अधिनियम की धारा–5 के अनुसार तम्बाकू कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे उक्त अभियानों में अपने ब्राण्ड व लोगो की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार करना पूर्ण रूप से प्रतिषेध है।

उक्त के अतिरिक्त कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0–22 / पांच–7–2022, दिनांक 12 मई, 2022 (संलग्नक–ख) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त विभागों को Foundation for Smoke-Free world(FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है साथ ही प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 के आलोक में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य नीतियों व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु दिशा–निर्देश (संलग्नक–ग) समस्त जनपदों को प्रेषित किये जा चुके है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अधीन चलाये जा रहे उक्त परियोजना सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार को रोकने हेतु जिला स्तर पर समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसी भी इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा संपोषण–अभियान सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार पर रोक लगायी जा सके।

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (स्वास्थ्य)
लखनऊ / तद्दिनांक

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 /

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त अधिनियम का अपने स्तर से प्रभावी संचालन / समीक्षा करने का कष्ट करें।
4–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

(सुनील पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य /
राज्य नोडल अधिकारी,एन0टी0सी0पी0

इ–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / लखनऊ / दिनांक– 19-10-2022

**विषयः– तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत चलाये जा रहे पोषण माह परियोजना अभियान में तम्बाकू उद्योग के लोगो / डिस्प्ले अथवा संपोषण अभियान के लोगो / डिस्प्ले को प्रचारित न करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(संलग्नक–क), जिसके माध्यम से महानिदेशालय को अवगत कराया गया है कि कि इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं एवं जनमानस के बीच माह सितम्बर 2022 में पोषण माह से सम्बन्धित राष्ट्रीय पोषण माह मना रही है तथा इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अपने सी.एस.आर. कार्यक्रम के अर्न्तगत किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में एनीमिया की चुनौती को कम करने हेतु परियोजना संपोषण आरम्भ किया गया है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदान और वितरण अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत उक्त अधिनियम की धारा–5 के अनुसार तम्बाकू कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे उक्त अभियानों में अपने ब्राण्ड व लोगो की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार करना पूर्ण रूप से प्रतिषेध है।

उक्त के अतिरिक्त कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0–22 / पांच–7–2022, दिनांक 12 मई, 2022 (संलग्नक–ख) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त विभागों को Foundation for Smoke-Free world(FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है साथ ही प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 के आलोक में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य नीतियों व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु दिशा–निर्देश (संलग्नक–ग) समस्त जनपदों को प्रेषित किये जा चुके है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अधीन चलाये जा रहे उक्त परियोजना सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार को रोकने हेतु जिला स्तर पर समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसी भी इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा संपोषण–अभियान सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार पर रोक लगायी जा सके।

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / 1886-90 लखनऊ / तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त अधिनियम का अपने स्तर से प्रभावी संचालन / समीक्षा करने का कष्ट करें।
4–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

(सुनील पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य /
राज्य नोडल अधिकारी,एन0टी0सी0पी0

Phone : 0522-2725586
E-mail : upvhalko@gmail.com
upvha_lko@yahoo.com
Website : www.upvha.org

# Uttar Pradesh Voluntary Health Association

5/459 Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Ref. No.To,.................. Date 11.10.2022

The State Nodal Officer
National Tobacco Control Programme, Uttar Pradesh
STCC, Office of Directorate Medical Health,
Lucknow

Subject:- Regarding possible violation by Indian Tobacco Industry through - ITC activities in Uttar Pradesh on health & nutrition - Poshan Maah (National Nutrition Month)

Dear Sir,

Greetings from UPVHA!

This is with the reference to the information received from different sources ITC Limited has committed to contribute significantly to the Prime Minister's 'Poshan Abhiyaan' by adopting a 'Help India Eat Better' framework that focuses on a 'Nutrition-First' approach. As part of its continued and dedicated efforts in this area, the Company is commemorating the 'Poshan Maah' (National Nutrition Month) throughout September with a slew of multidimensional initiatives to promote the importance of nutrition and wellness among its employees, consumers, civil societies and other stakeholders.

Supporting the nation's aspirations of 'Anaemia Mukt Bharat', ITC has recently launched Project 'Samposhan' under its social investment programme in the aspirational districts of Uttar Pradesh to help address the challenge of high incidence of anaemia in adolescent girls, pregnant and lactating women. (Article and news published regarding the same is attached with this letter for your kind perusal)

https://newspatrolling.com/with-help-india-eat-better-framework-itc-takes-nutrition-first-approach/

https://newsroomodisha.com/with-help-india-eat-better-framework-itc-takes-nutrition-first-approach/

https://latestnews.fresherslive.com/articles/with-help-india-eat-better-framework-itc-takes-nutrition-first-approach-1065123

https://www.itcportal.com/about-itc/ChairmanSpeakContent.aspx?id=2511&type=B&news=111th-annual-general-meeting-itc-limited

As India is one of signatory of WHO-FCTC and also UP Government is committed to stop tobacco industry interference in health with a state policy in line with WHO FCTC Article 5.3.

May I please request you to issue a circular/notification to districts- to not publicise any ITC (or related campaign 'Samposhan') logos/displays within the districts of Uttar Pradesh.

With thanks and regards!

(Vivek)
Executive Director